



Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer (Examiners Registration Form)

Please fill in English Capital letters only

1. Name (Shri/Smt./Kum.)

2. Father/Husband Name :

3. Date of Birth :

4. Nature of Service (✓) : Govt. Pvt.

5. Sex (✓) : Male Female

6. Contract No. : Mob. No.----- Resi. STD code-----No.-----

7. E-mail : -----

8. Residence Address :

Dist.-----Pin----- (Raj.)

आवक्ष चित्र
चिपकाये शाला
प्रधान से प्रमाणित
करावें

9. Employee ID No. (For Govt. Employee) : -----

10. Examination for Examiner ship (Sec./Sr.Sec./Sr.Updh./Prav.) (Choose any one) -----

11. Subjects for Examiner ship : 1. 2.
(For Sr. Sec. One Subject & Secondary Two Subject)

12. Educational Qualification (Graduate, Post Graduate, B.Ed./M.Ed. etc.) Please give all details.

S.No.	Name of Examination	Division	Year of Passing	University	Optional Subject
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

13. Teaching Experience (From Class IX to XII & Higher Classes) since appointment or last 10 years

Sr. No.	Subject	Class	Name of Institution	Service Period		Total Period		
				From	To	Year	Mont h	Day
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09	Total							

14. Present Institution -----
-----Dist-----Tel. No.-----
Board/University, from which recognized -----

15. Present Designation -----Date of Posting-----
Present Pay scale -----GP -----Total Salary-----
Date of First Appointment -----Designation-----

16. Bank A/C No. -----IFSC Code-----
Bank Name-----Branch Name-----

17. Registration NO. (if already registered) Registration NO. ----- Subject ----- Year -----

<p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचनाएँ सही एवं सत्य है। गलत पाये जाने पर बोर्ड मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही करेगा, मुझे मान्य है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर बोर्ड को सूचना दे दूंगा/दूंगी। पंजीयन उपरान्त सैद्धान्तिक/उ.पु. का मूल्यांकन व बोर्ड द्वारा आवंटित अन्य सभी कार्य सम्पादित करूंगा। परीक्षक हेतु निम्न नियमों का अध्ययन कर लिया है, जिसके अनुसार पंजीयन हेतु पात्र हूँ। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरा पूर्व में केवल मात्र उक्त एक ही पंजीयन है। भविष्य में एक ही पंजीयन संख्या रखूंगा।</p>	<p>प्रमाणित किया जाता है कि मैं प्रार्थी द्वारा दिये गये उपर्युक्त तथ्यों से संतुष्ट हूँ, प्रार्थी इस संस्था में नियमित रूप से पद पर नियुक्त है, उपरोक्त जानकारी कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है। प्रार्थी का पंजीयन किये जाने एवं बोर्ड के कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।</p>
<p>हस्ताक्षर आवेदक</p> <p>नाम</p> <p>दिनांक</p>	<p>शाला प्रधान के हस्ताक्षर मय सील</p> <p>नाम.....</p> <p>मोबाईल नं.....</p> <p>ई-मेल.....</p> <p>दिनांक</p>
<p>जिला शिक्षा अधिकारी की पंजीयन हेतु अनुशंसा</p>	
<p>नोट:—1. शिक्षण संस्था प्रधान होने की दशा में उच्च अधिकारी द्वारा अग्रेषित होना चाहिये। 2. निजी शिक्षण संस्थाओं के आवेदक, आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही प्रेषित किये जावें। 3. निजी शिक्षण संस्थाओं के आवेदक आवेदन-पत्र के साथ अनुभव/शैक्षिक योग्यता, प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। 4. निजी/राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संबंधित प्रधानाचार्य से अग्रेषित कराकर सीधा बोर्ड को भेजे।</p>	

नियम/शर्त

1. नियमित रूप से पद पर नियुक्त अध्यापक ही परीक्षक हेतु पात्र हैं।
2. अतिथि शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक व वार्डन परीक्षक बनने के पात्र नहीं हैं।
3. कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अध्यापक अपनी योग्यता की फोटो प्रतियां करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। M.Tech /C-Level /B.E. /M.C.A. /B.Level /M.Sc. /B.Tech. /B.Sc./A-Level/PGDCA योग्यता धारक परीक्षक हेतु पात्र हैं।
4. पद अथवा पते में परिवर्तन की सूचना अपनी पंजीयन संख्या का हवाला देते हुए तुरन्त सूचित करें।
5. माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रधानाध्यापक, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा), वरिष्ठ अध्यापक, सहायक अध्यापक, अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त अध्यापक ही परीक्षक बनने के पात्र हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए व्याख्याता अथवा समकक्ष पर धारक परीक्षक बनने के पात्र हैं।
6. उच्च माध्यमिक में केवल एक विषय में तथा माध्यमिक में दो विषय में पंजीकरण कराया जा सकता है।
7. ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जिनका पंजीयन पैनल से हट गया है तथा वे मूल्यांकन कार्य करने के इच्छुक हैं, वे पुनः पंजीयन हेतु आवेदन पत्र अंतिम कार्यरत संस्था (जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं) के संस्था प्रधान से अग्रेषित करवाकर प्रेषित करें। परीक्षक बनने की अधिकतम आयु 70 वर्ष है।
8. आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार्य होगा। आवेदन पत्र बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर Download Link पर भी उपलब्ध है।
9. अपूर्ण आवेदन पत्र पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा और न ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
10. एक से अधिक बार पंजीयन कराने वाले परीक्षकों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें परीक्षक कार्य से वंचित कर दिया जाएगा एवं अन्य वांछित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. निजी शिक्षण संस्था के अध्यापकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से अग्रेषित करवाकर भेजें।
12. परीक्षक बनने हेतु संबंधित विषय को पढ़ाने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
13. परीक्षक बनने हेतु स्कूल अध्यापकों को B.Ed. होना आवश्यक है। कॉलेज शिक्षक, संबंधित विषय में तत्सम अथवा उच्च स्तर की मान्य सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण (यथा NET, SLET, P.HD.) हों वे परीक्षक बनने के पात्र हैं।
14. आवेदन पत्र पर अपना नवीन आवक्ष चित्र अपने अग्रसर कर्ता द्वारा सत्यापित करवाकर भिजवायें।
15. प्रतिवर्ष फरवरी माह तक परीक्षक नियुक्ति हेतु सहमति पत्र प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय में दूरभाष संख्या 0145-2632068 अथवा फैक्स संख्या 0145-2426994 पर सम्पर्क करें अथवा निदेशक (गोपनीय) को पत्र लिखें।

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदक.....

सम्पर्क सूत्र (अजमेर STD कोड 0145)	कार्यालय	निवास
श्री जी. के. माथुर, निदेशक-गोपनीय	0145-2421897	0145-2643717
श्री कमल गर्ग, उप निदेशक-गोपनीय	0145-2632225	0145-2426375
श्री मंधाराम तोलानी, सहायक निदेशक-सी. सैक.	0145-2632861	-
श्री रमेश चन्द जैन, सहायक निदेशक-सैक./पैनल	0145-2632862	-
परीक्षक पैनल प्रकोष्ठ (पंजीयन, प्रायोगिक/सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु नियुक्ति आदि पूछताछ के लिये)	0145-2632068	-